विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 217/वि0स0/संसदीय/139(सं)/2016

लखनऊ, दिनांक 03 मार्च, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

श्री प्रदीप माथुर, नेता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधान मण्डल दल, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम-7 के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के विचारार्थ श्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध दिनांक 22 अगस्त, 2016 को दायर की गयी याचिका पर मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2017को किया गया विनिश्चय एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ अधिसूचित किया जाता है :-

अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश

श्री प्रदीप माथुर द्वारा श्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियॉं के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी याचिका पर

निर्णय

1. श्री प्रदीप माथुर, नेता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी, विधान मण्डल दल द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2016 को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम-7 के अन्तर्गत श्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियॉं, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में याची का यह कथन है कि विपक्षी श्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियॉं, विधान सभा क्षेत्र सं0-34, स्वार, जनपद-रामपुर से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के लिए वर्ष 2012 में विधान सभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में विधायक चुने गये थे तथा उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी, विधान मण्डल दल के सदस्य बन गये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक राष्ट्रीय राजनैतिक दल है।

3. याची के अनुसार भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर-2(1)(ए) में यह उल्लिखित है कि यदि कोई सदन का सदस्य जिस पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुआ है उस पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है तो वह विधान सभा के सदस्य के रूप में निरर्ह हो जायेगा।

4. याची ने इस पर बल दिया है कि विपक्षी श्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियॉं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे, द्वारा स्वेच्छा से दिनांक 10 अगस्त, 2016 को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है।

5. याची द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि श्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियाँ द्वारा 10 अगस्त, 2016 को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली गई। इसकी औपचारिक घोषणा बहुजन समाज पार्टी के महासचिव श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी द्वारा प्रेस वार्ता में की गई।

6. याची के अनुसार विपक्षी के बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने का समाचार इलेक्ट्रानिक मीडिया के विभिन्न न्यूज चैनल पर प्रसारित हुआ एवं दिनांक 11 अगस्त, 2016 के दैनिक जागरण, दैनिक हिन्दुस्तान, दैनिक अमर उजाला, दैनिक राष्ट्रीय सहारा समाचार, दैनिक टाइम्स ऑफ इण्डिया तथा दैनिक इण्डियन एक्सप्रेस समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ।

7. याची द्वारा यह भी कहा गया है कि उपरोक्त समाचारों में से कुछ में प्रतिपक्षी की फोटो भी श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, महासचिव, बहुजन समाज पार्टी, उ0 प्र0 एवं अन्य के साथ छपी है तथा उनके कथन का सारांश भी है। विपक्षी के इस कृत्य से यह स्पष्ट है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिनांक 10 अगस्त, 2016 को स्वेच्छा से छोड़ दी है।

8. याची द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा गया है कि श्री नवाब काजिम अली खां ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग दी है तथा वह भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद-2(1)(क) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में निरर्ह हो गये हैं।

9. याची द्वारा यह भी कहा गया कि प्रस्तुत याचिका उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के अन्तर्गत प्राविधानों में वर्णित शर्तों को पूर्ण करती है। तद्नुसार विपक्षी श्री नवाब काजिम अली खां को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987, जो कि संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा-8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 विधान सभा ने बनायी है, के नियम-7(4) सपठित भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा-2(1)(बी) के अन्तर्गत भी दिनांक 11 जून, 2016 को राज्य सभा मतदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के नेता द्वारा दिये गये निर्देशों के विरुद्ध कांग्रेस के प्रत्याशी श्री कपिल सिब्बल को प्रथम वरीयता का मत न देने के कारण निरर्हता से ग्रसित हो गये है। विपक्षी को याचिका की प्रति एवं उसके उपाबन्धों सहित प्रस्तुत करते हुए उन्हें अपना उत्तर/टिप्पणी प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

10. अन्त में श्री प्रदीप माथुर, याची द्वारा यह प्रार्थना की गयी है कि नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियाँ को भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त घोषित किया जाये और उनकी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं0-34, स्वार, जनपद-रामपुर से उ0प्र0 विधान सभा की सदस्यता समाप्त की जाये।

11. याचिका के समस्त प्रस्तरों को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के प्राविधानों के अन्तर्गत सत्यापित किया गया है तथा याचिका के साथ याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए एक शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। याची की ओर से संलग्नकों के रूप में विभिन्न समाचार-पत्रों की प्रतियाँ संलग्न की गयी हैं। याचिका के साथ संलग्न अभिलिखित साक्ष्य/उपाबन्धों को भी प्रमाणित किया गया है।

12. विपक्षी नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियाँ द्वारा दिनांक 12 सितम्बर, 2016 को अपने उत्तर में अवगत कराया कि 14 जून 2016 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में 6 कांग्रेस विधायकों को तात्कालिक प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया।

13. विपक्षी द्वारा याचिका के सापेक्ष अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया है जिसमें कि उन्होंने यह कहा है कि उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था तथा इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। विपक्षी द्वारा 1992 एस0यू0पी0पी0 2 एस0सी0सी0 651 का सन्दर्भ भी दिया गया है।

14. विपक्षी नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियाँ द्वारा अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 13 सितम्बर, 2016 को बकरीद का पर्व तथा सार्वजनिक अवकाश होने के कारण से सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की गयी तथा याचिका की सुनवाई की तिथि तीन सप्ताह के बाद निर्धारित करने का अनुरोध किया गया। मा0 अध्यक्ष द्वारा न्यायहित में वांछित समय प्रदान किया गया तथा याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 19 सितम्बर, 2016 को निर्धारित की गई।

15. याची द्वारा विपक्षी के उत्तर दिनांक 12 सितम्बर, 2016 के प्रतिउत्तर दिनांक 2 नवम्बर, 2016 में कहा गया कि विपक्षी के कथन अमान्य एवं विधि विरुद्ध हैं। याची द्वारा प्रतिपक्षी को विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया।

16. विपक्षी द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2016 के पत्र से अवगत कराया गया कि याचिका पर सुनवाई का पत्र उन्हें 19 सितम्बर, 2016 को अपराह्न 02.34 बजे प्राप्त हुआ है। सुनवाई हेतु 19 सितम्बर, 2016 को अपराह्न 02.00 बजे उपस्थित न होने के कारण याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 को निर्धारित की गई है।

17. विपक्षी द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 2016 को पत्र द्वारा अवगत कराया गया कि वह शिया समुदाय, वक्फ़ गुलजार-ए-रफत तथा शाही औक़ाफ़ मुतवल्ली है। उक्त वक्फ़ों के अधीन परम्परागत रूप से मोहर्रम कार्यक्रमों का आयोजन होने के कारण 15 अक्टूबर, 2016 तक उपस्थित न हो पाने के कारण सुनवाई हेतु अगली तारीख नियत करने का अनुरोध किया गया। इसके अतिरिक्त विपक्षी द्वारा अपने पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2016 के द्वारा दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 को याचिका पर होने वाली सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की गयी। जिसके उपरान्त याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि 19 अक्टूबर, 2016 नियत की गयी।

18. दिनांक 19 अक्टूबर, 2016 को होने वाली याचिका पर सुनवाई अपरिहार्य कारणों से स्थगित करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 02 नवम्बर, 2016 नियत की गयी।

19. दिनांक 02 नवम्बर, 2016 को याचिका पर होने वाली सुनवाई के सम्बन्ध में विपक्षी श्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियाँ का दिनांक 02 नवम्बर, 2016 का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें विपक्षी ने अपनी याचिका पर सुनवाई हेतु अधिवक्ता श्री अर्पित शुक्ला को नामित करने की सूचना दी। उक्त याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि 18 नवम्बर, 2016 नियत की गयी।

20. दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को याचिका पर सुनवाई के सम्बन्ध में विपक्षी के अधिवक्ता श्री अर्पित शुक्ला का प्रार्थना-पत्र दिनांक 16 नवम्बर, 2016 को प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से सुनवाई के लिए

लखनऊ आ पाने में असमर्थता व्यक्त करते हुए प्रकरण पर सुनवाई स्थगित किये जाने का अनुरोध किया। चूंकि श्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियाँ को पर्याप्त समय प्रदान किया जा चुका था, अतः इनके अधिवक्ता द्वारा समय प्रदान किये जाने संबंधी प्रार्थना-पत्र को निरस्त किया गया तथा याचिका में निर्णय सुरक्षित किया गया।

21. विपक्षी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 21 नवम्बर, 2016 के द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को दिये गये आदेश पर पुनर्विचार किये जाने का अनुरोध किया। दिनांक 27 नवम्बर, 2016 को अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान विपक्षी के अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त न हो पाने के कारण उन्हें अपने अभिकथनों के समर्थन में मा0 उच्च न्यायालय तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय की कतिपय नजीरों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया, चूँकि याचिका पर निर्णय सुरक्षित किया जा चुका था अतः विपक्षी को अपने तर्कों के समर्थन में विधि व्यवस्था में लिखित कथन का विलम्बतम दिनांक 5 दिसम्बर, 2016 तक उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान किया गया।

22. विपक्षी श्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां का दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 के पत्र के द्वारा लिखित जवाब दिया गया कि भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद-2(1)(क) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में निरर्हता के सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा यह कहा गया है कि उसके द्वारा कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से त्याग-पत्र नहीं दिया गया अपितु कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उनको एवं अन्य 5 सदस्यों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

23. विपक्षी द्वारा यह भी लिखित कथन दिया गया कि उ0प्र0 विधान सभा सदस्य नियमावली, 1987 के नियम-7(4) सपठित भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा-2(1)(बी) के उत्तर के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायलय का निर्णय कुलदीप नायर एवं अन्य बनाम भारत संघ व अन्य (2006) 7 एस0सी0सी0 की व्यवस्था तथा किहोटो होलोहान बनाम जाकिलहु एवं अन्य (1992) सुप02 एस0सी0सी0 651 की व्यवस्था के मामलों में पारित निर्णयों के अन्तर्गत व्याख्या प्रदर्शित की गयी।

24. मैने पत्रावली एवं सुसंगत अभिलेखों तथा साक्ष्यों का अवलोकन किया, जिसमें याची द्वारा प्रतिपक्षी श्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियाँ के विरुद्ध मुख्य रूप से इस आधार पर निरर्हता का अनुरोध किया गया कि उन्होंनें स्वेच्छा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सदस्यता त्याग दी है।

25. याची द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य रूप से इस आधार पर नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियाँ को विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है कि दिनांक 10 अगस्त, 2016 को उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है जिसकी औपचारिक घोषणा बहुजन समाज पार्टी के महासचिव श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रेस कांफ्रेन्स के माध्यम से प्रसारित की है। प्रेस कांफ्रेंस में श्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियाँ भी सम्मिलित थे तथा उन्होंने पत्रकारों के सामने यह घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता को स्वेच्छापूर्वक त्याग दिया है तथा सुश्री मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी में सम्मिलित हो गये हैं। याची के अनुसार प्रतिपक्षी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी के विरुद्ध भी वक्तव्य दिये। याची द्वारा उक्त प्रेस कांफ्रेन्स के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार

की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। याची की ओर से दिनांक 11 अगस्त, 2016 के ''दैनिक जागरण'', ''दैनिक हिन्दुस्तान'', ''दैनिक अमर उजाला'' आदि की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं जिसमें कि श्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियाँ के बहुजन समाज पार्टी में शाामिल होने के समाचार को प्रकाशित किया गया है। याची द्वारा यह भी कहा गया है कि इस आशय के समाचार विभिन्न टी0वी0 चैनलों पर भी प्रसारित हुये हैं।

26. यद्यपि विपक्षी द्वारा इस आरोप का खण्डन किया गया है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग दी है परन्तु याची द्वारा प्रस्तुत किये गये समाचार पत्रों की प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 11 अगस्त, 2016 के विभिन्न समाचार पत्रों में विपक्षी श्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियाँ के बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित होने का समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है।

27. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दसवीं अनुसूची के अभिप्राय तथा उद्देश्यों एवं उसमें निहित मन्तव्यों को ''किहोटाहोलोहन (एआईआर 1993 एससी 412)'' के प्रकरण में निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया हैः–

"…these provisions in the Tenth Schedule give recognition to the role of political parties in the political process. A political party goes before the electorate with a particular programme and it sets up candidates at the election on the basis of such programme. A person who gets elected as a candidate set up by a political party is so elected on the basis of the programme of that political party. The provisions of paragraph 2(1)(a) proceed on the premise that political propriety and morality demand that if such a person, after the election, changes his affiliation and leaves the political party which had set him up as a candidate at the election, then he should give up his membership of the legislature and go back before the electorate."

28. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डा0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह प्रति चेयरमैन बिहार लेजिस्लेटिव कौंसिल एवं अन्य (2004, 8 एससीसी 747) के मामले में सभापति अथवा अध्यक्ष की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत भूमिका परिभाषित की गई है एवं यह अवधारित किया गया है कि दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत सभापति अथवा अध्यक्ष निरर्हता के प्रश्न पर विनिश्चय करते समय स्वविवेक धारित नहीं करते हैं वरन् उनकी भूमिका प्रकरण के वर्णित तथ्यों को एकत्र करने एवं उन्हें सुनिश्चित करने की होती है। प्रमाणिक रूप से प्रकरण के सम्बन्धित समस्त तथ्यों के विषय में समाधान हो जाने पर अध्यक्ष अथवा सभापति दसवीं अनुसूची के सुसंगत प्राविधानों को प्रकरण के तथ्यों के विषय में लागू करते हुए अपना निर्णय प्रदान करेंगे। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"Paragraph 6 says that where any question arises as to whether a member of the House has become subject to disqualification under the Schedule, the same shall be referred for the decision of the Chairman or, as the case may be, the Speaker of the House and his decision shall be final. Therefore, the final authority to take a decision on the question of disqualification of a member of the House vests with the Chairman or the Speaker of the House. It is to be noted that the Tenth Schedule does not confer any discretion on the Chairman or Speaker of the House. Their role is only in the domain of ascertaining the relevant facts. Once the facts gathered or placed show that a member of the House has done any such act which comes within the purview of sub-paragraph (1),

(2) or (3) of Paragraph 2 of the Tenth Schedule, the disqualification will apply and the Chairman or the Speaker of the House will have to make a decision to that effect.”

29. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई उक्त विधि व्यवस्थाओं के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि दसवीं अनुसूची के अंतर्गत जो याचिकायें अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं, उनमें मुख्य रूप से अध्यक्ष का कार्य तथ्यों को सुनिश्चित करके निर्णय प्रदान करने का है तथा इसमें अध्यक्ष अपने स्वविवेक से कोई कार्य नहीं कर सकते।

30. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दसवीं अनुसूची के प्रस्तर 2 (1) (क) की परिधि एवं उसके विस्तार के संदर्भ में 'किहोटोहोलोहान, रवि एस0 नायक एवं जी0 विश्वनाथन (1996) 2एस0सी0सी0' के मामलों में पारित निर्णयों के अंतर्गत व्याख्या प्रदर्शित की है तथा यह अवधारित किया है कि सदन के किसी सदस्य द्वारा राजनीतिक दल की सदस्यता को स्वेच्छापूर्वक त्यागने का कृत्य प्रत्यक्ष (Express) अथवा विवक्षित (Implied) हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई विधिक व्यवस्थाओं के अनुसार सदन का कोई सदस्य विवक्षित रूप से अपने आचरण द्वारा भी राजनीतिक दल की सदस्यता का स्वेच्छा से त्याग कर सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियाँ द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2016 को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की गई जिसके फलस्वरूप यह माना जायेगा कि उन्होंने स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता को त्याग दिया है। इस आशय के समाचार विभिन्न समाचार पत्रों में दिनांक 11 अगस्त, 2016 को प्रकाशित हुआ था। समाचार–पत्रों में प्रकाशित विवरण के विरूद्ध प्रतिपक्षी द्वारा कोई तर्क अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रवि एस0 नायक प्रति यूनियन ऑफ इंडिया (ए0आई0आर0 1994, एस0सी0 1558) में पारित निर्णय के अंतर्गत समाचार–पत्रों में प्रकाशित समाचारों को साक्ष्य के रूप में दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई याचिकाओं के निस्तारण हेतु संज्ञान में लिये जाने के विषय में मान्यता प्रदान की है जोकि निम्नवत् है।

“As regards the reference to the news papers in the impugned order passed by the Speaker it appears that the Speaker, in his order, has only referred to the photographs as printed in the newspapers showing the appellants with Congress (I) MLAs and Dr. Barbosa, etc. when they had met the Governor with Dr. Wilfred D’Souza who had taken them to show that he had the support of 20 MLAs. The High Court has rightly pointed out that the Speaker, in referring to the photographs was drawing an inference about a fact which had not been denied by the appellants themselves, viz., that they had met the Governor along with Dr. Wilfred D’Souza and Dr. Barbosa on December 10, 1990 in the company of congress (1) MLAs, etc. The talk between the Speaker and the Governor also refers to the same fact. In view of the absence of a denial by the appellants of the averment that they had met the Governor on December 10, 1990 accompanied by Dr. Barbosa and Dr. Wilfred D’Souza and Congress MLAs the controversy was confined to the question whether from the said conduct of the appellants an inference could be drawn that they had voluntarily given up the membership of the MGP. The reference to the newspaper reports and to the talk which Speaker had with the Governor, in the impugned order of disqualification does not, in these circumstances, introduce an

infirmity which would vitiate the said order as being passed in violation of the principles of natural justice.”

32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई उपर्युक्त अवधारणाओं से यह स्पष्ट है कि समाचार–पत्रों को दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत याचिकाओं के निस्तारण हेतु संज्ञान में लिया जाना सर्वथा औचित्यपूर्ण है। प्रतिपक्षी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य अथवा आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि उपर्युक्त समाचार–पत्रों में प्रकाशित समाचारों का कोई खण्डन किया गया हो, अतः याची द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्य एवं तर्क विधिक रूप से मान्य है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों की विवेचना से यह स्पष्ट है कि नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियाँ द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2016 को अपने मूल राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी की सदस्यता को स्वेच्छा से त्याग दिया गया तथा उनके मामले में भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर 2 (1) (क) के प्रावधान आकर्षित होंगे।

33. प्रतिपक्षी द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी द्वारा उनको निष्कासित कर दिया गया था। अतः बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के उपरान्त भी वह निरर्हता से ग्रसित नहीं माने जायेंगे। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जी0 विश्वनाथन प्रति माननीय अध्यक्ष तमिलनाडु, विधान सभा [1996(2)एस0एस0सी0 353] एवं अन्य में स्पष्ट विधि व्यवस्था प्रतिपादित करते हुए यह अवधारित किया है कि निष्कासन के पश्चात् भी यदि कोई सदस्य अपने मूल राजनीतिक दल से भिन्न किसी अन्य राजनीतिक दल में सम्मिलित होता है तो उसके सम्बन्ध में दसवीं अनुसूची के सुसंगत प्रावधान आकर्षित होंगे एवं यह माना जायेगा कि उन्होंने अपने मूल राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग दी, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के निम्नलिखित अंशों से स्पष्ट है :–

“It appears that since the explanation to para 2 (1) of the Tenth Schedule provides that an elected member of a House shall be deemed to belong to the political party, if any, by which he was set up as a candidate for election as such member, such person so set up as a candidate and elected as a member, shall continue to belong to that party. Even if such a member is thrown out or expelled from the party, for the purposes of the Tenth Schedule he will not cease to be a member of the political party that had set him up as a candidate for the election. He will continue to belong to that political party even if he is treated as ‘unattached’. The further question is when does a person “voluntarily give up” his membership of such political party, as provided in para 2(1)(a)? The act of voluntarily giving up the membership of the political party may be either express or implied. When a person who has been thrown out or expelled from the party which set him up as a candidate and got elected, joins another (new) party, it will certainly amount to his voluntarily giving up the membership of the political party which had set him up as a candidate for election as such member.

34. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह राणा प्रति श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, (ए0आई0आर0/एस0सी0 1305, 2007)** में यह स्पष्ट रुप से अवधारित किया गया है कि निरर्हता उसी दिन से लागू एवं प्रभावी मानी जायेगी जिस दिन से सम्बन्धित सदस्य द्वारा स्वेच्छा से अपने

राजनीतिक दल का त्याग किया गया हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय के निम्नलिखित अंश सुसंगत हैंः–

"As we see it, the act of disqualification occurs on a member voluntarily giving up his membership of a political party or at the point of defiance of the whip issued to him. Therefore, the act that constitutes disqualification in terms of paragraph 2 of the Tenth Schedule is the act of giving up or defiance of the whip. The fact that a decision in that regard may be taken in the case of voluntarily giving up by the Speaker at a subsequent point of time cannot and does not postpone the incurring of disqualification by the act of the legislator. Similarly, The fact that the party could condone the defiance of a whip within 15 days or that the Speaker takes the decision only thereafter in those cases, cannot also pitch the time of disqualification as anything other than the point at which the whip is defied. Therefore in the background of the object sought to be achieved by the Fifty Second Amendment of the Constitution and on a true understanding of paragraph 2 of the Tenth Schedule, with reference to the other paragraphs of the Tenth Schedule, the position that emerges is that the Speaker has to decide the question of disqualification with reference to the date on which the member voluntarily gives up his membership or defies the whip. It is really a decision ex post facto. The fact that in terms of paragraph 6 a decision on the question has to be taken by the Speaker or the Chairman, cannot lead to a conclusion that the question has to be determined only with reference to the date of the decision of the Speaker. An interpretation of that nature would leave the disqualification to an indeterminate point of time and to the whims of the decision making authority. The same would defeat the very object of inacting the law. Such an interpretation should be avoided to the extent possible. We are, therefore, of the view that the contention that only on a decision of the Speaker that the disqualification is incurred cannot be accepted."

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के विधिक प्राविधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई विधि व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट है कि नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियाँ ने दिनांक 10 अगस्त, 2016 को आहूत प्रेस वार्ता के समय अपने मूल राजनीतिक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग दी तथा वह बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित हो गये। अतः नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियाँ दिनांक 10 अगस्त, 2016 को निरर्हता से ग्रस्त हो गये।

आदेश

श्री प्रदीप माथुर, नेता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधान मण्डल दल, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका को स्वीकार किया जाता है। नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियाँ, सदस्य उत्तर प्रदेश विधान सभा, स्वार, विधान सभा क्षेत्र जनपद–रामपुर को भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर 2 (1)(क) के अंतर्गत दिनांक 10 अगस्त, 2016 से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह घोषित किया जाता है।

दिनांक : 03 मार्च, 2017

माता प्रसाद पाण्डेय,
अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

संख्या : 217(1)/वि0स0/संसदीय/139(सं)/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :--

1-महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव को महामहिम राज्यपाल की सूचनार्थ,

2-मा0 मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव को मा0 मुख्य मंत्री की सूचनार्थ,

3-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,

4-समस्त मा0 सदस्यगण, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,

5-सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली,

6-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,

7-प्रमुख सचिव, विधान सभा,

8-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य अनुभाग-1,

9-प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,

10-सचिव, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,

11-सरकारी सचिवालय के समस्त विभाग,

12-श्री प्रदीप माथुर, नेता विरोधी दल, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,

13-श्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नूरमहल, जनपद-रामपुर,

14-निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क अनुभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,

15-महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली,

16-महासचिव, लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली,

17-जिलाधिकारी, कुशीनगर,

18-विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।

अशोक कुमार चौबे,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 291 विधान सभा (465)-06-03-2017-1000 प्रतियां-कम्प्यूटर।